



भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला  
(भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग की यूनिट)  
नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 009

**तकनीकी/वाणिज्यिक बोली**

कार्य का नाम: "उदयपुर सौर वेधशाला (यूएसओ), उदयपुर, राजस्थान के विभिन्न परिसरों में हाउस कीपिंग सेवाओं, बागवानी, केवट/श्रम सेवाओं, पर्यवेक्षक और इलेक्ट्रीशियन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक दर अनुबंध (दो बोली प्रणाली)। "

NIT NO: - PRL/ADM-GN/USO/2018-2019/01

दिनांक 09.04.2018

प्राप्त कर्ता \_\_\_\_\_

रसीद संख्या: \_\_\_\_\_ दिनांक: \_\_\_\_\_

जारीकर्ता:

**ध्यान दें:** तकनीकी/वाणिज्यिक बोली के सभी पृष्ठों पर मुहर के साथ ठेकेदार का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

तकनीकी/वाणिज्यिक बोली

**भाग- क**

उदयपुर सोलर वेधशाला (यूएसओ) -पीआरएल, उदयपुर, राजस्थान के विभिन्न परिसरों में हाउसकीपिंग, बागवानी, नाविक/श्रम, इलेक्ट्रीशियन और पर्यवेक्षी सेवाएं प्रदान करने के लिए "दो साल के सेवा अनुबंध" के लिए बोलियां (दो बोली प्रणाली) आमंत्रित की जाती है।

**भाग -A**

हम हाउसकीपिंग, बागवानी, नाविक / श्रम, इलेक्ट्रीशियन और सुपरवाइजरी सेवाओं के लिए प्रशिक्षित कर्मियों के साथ यूएसओ के विभिन्न परिसरों के समुचित विकास और रखरखाव के लिए कम से कम तीन वर्षों के अनुभव के साथ पेशेवर योग्य एजेंसियों की तलाश कर रहे हैं,

**कार्य का संक्षिप्त विवरण:**

I. पर्यवेक्षण सेवाएं:

- a. यूएसओ-पीआरएल के प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्देशित बागवानी कार्य, हाउसकीपिंग और नाविक सेवाओं के लिए पर्यवेक्षण की सेवाएं प्रदान करना

हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करना

- a. कार्यालय और प्रयोगशाला भवन  
b. यूएसओ वेधशाला द्वीप परिसर  
c. अन्य क्षेत्र पार्किंग क्षेत्र सहित.  
d. नालियों एवं मैनहोल की सफाई  
e. यूएसओ उदयपुर आवास परिसर: कचरे के निपटान के लिए हरेक द्वार से एकत्रित करना, आवास लॉबी, सीढ़ियों, छतों, आंतरिक रास्तों व परिसर के आसपास की जगह की सफाई करनी होगी।  
f. अस्थाई आवास (ई टाइप आवास में) की सफाई।  
g. छात्रों को दिए गए सी टाइप के आवासों में झाड़ू पोछा करना

II. उदयपुर सौर वेधशाला, द्वीप परिसर एवं आवास परिसर , उदयपुर, राजस्थान में बागवानी सेवा प्रदान:

- a. पी.आर.एल. (यूएसओ) में विभिन्न स्थानों पर स्थान की उपलब्धतानुसार लॉन, बाड़ा, वृक्ष, झाड़ियां, सीमा के पौधे, लताएं, नर्सरी, फूलों की क्यारियों एवं गमलों में लगाए जाने वाले पौधे लगाए गए हैं। पूरी जानकारी के लिए मूल्य बोली(भाग- ख) देखें।  
b. उदयपुर परिसर में बागवानी कार्य की प्रकृति  
c. उदयपुर आवास परिसर में बागवानी कार्य - नए बगीचे लगाना व उनका रखरखाव।

III. नाविक सेवाएं/सामान्य काम के लिए मजदूर

फतेहसागर के किनारे से यू.एस.ओ. द्वीप वेधशाला तक आने व जाने के लिए दैनिक आधार पर और प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार आवश्यकता पड़ने पर नौकायन के लिए नाविक सेवाएं प्रदान करना। मजदूर को अधिकारियों द्वारा वांछित काम करने में सक्षम होना चाहिए।

नाविक को नौकायन का काम करने का अनुभव होना चाहिए और तैराकी आनी चाहिए।

इलेक्ट्रीशियन (ITI) सेवा

बिजली के काम को संभालने के लिए पर्याप्त अनुभव और अधिकारियों के इच्छा के अनुसार काम करने के सक्षम होना चाहिए।

व्यक्ति को बिजली के उपकरणों, स्ट्रीट लाइट आदि की मरम्मत करने के लिए के लिए सक्षम होना चाहिए

**B. ठेकेदार को पूर्व-अर्हता (PQ) के लिए निमंत्रण.**

1. **उदयपुर सौर वेधशाला के विभिन्न परिसरों में** हाउस कीपिंग सेवाओं, बागवानी सेवाओं, केवट/श्रम सेवाओं, पर्यवेक्षक और इलेक्ट्रीशियन के लिए दो वर्ष के सेवा अनुबंध के लिए मुहरबंद आवेदनों को आमंत्रित किये जाते हैं। (दो बोली प्रणाली)
2. **निविदा दस्तावेज: 20.04.2018 से 09.05.2018 तक प्रशासनिक अधिकारी, पीआरएल से कार्यालय के समय के दौरान 10.30 बजे से 3.00 बजे तक** निविदा शुल्क के प्रेषण और लिखित अनुरोध के साथ निविदा दस्तावेज प्राप्त किया जा सकता है
3. **निविदा शुल्क: 500 रुपये की निविदा शुल्क** नकद या बैंकर्स चेक / डीडी के माध्यम से भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के पक्ष में तकनीकी बोली के साथ संलग्न करें।
4. दस्तावेज का पूरा सेट दो अलग मुहरबंद कवर में संलग्न हो -एक भाग-क (तकनीकी- वाणिज्यिक बोली) और दूसरा भाग-ख (मूल्य बोली) को कपड़े के एक तीसरे लिफाफे में रख कर उस पर **उदयपुर सौर वेधशाला के विभिन्न परिसरों में हाउस कीपिंग सेवाओं, बागवानी सेवाओं, केवट/श्रम सेवाओं, पर्यवेक्षक और इलेक्ट्रीशियन के लिए दो वर्ष के सेवा अनुबंध** (दो बोली प्रणाली) आवेदन उत्कीर्ण होना चाहिए तथा प्रशासन अधिकारी, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, नवरंगपुरा, अहमदाबाद -380 009 के पते पर 10.05.2018 को 1200 बजे तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजें।
5. **बयाना राशि जमा: 1,00,000 रु की ईएमडी को डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के रूप में, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के नाम पर बनवाकर भाग-क अर्थात् तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।**
6. बिना ईएमडी वाली तकनीकी बोली (भाग-क) को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
7. बिना ईएमडी वाली बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
8. **निविदा खोलना: तकनीकी-वाणिज्यिक बोली खोलना: 10.05.2018 को: पीआरएल, अहमदाबाद में 1400 बजे**
9. पीआरएल द्वारा निविदा दस्तावेज के भाग-क (तकनीकी बोली) की जांच के बाद उपयुक्त पाए जाने वाले बोलीदाताओं को भाग-ख (मूल्य बोली) खोलने के लिए तिथि, समय और स्थान के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा।

10. **सुरक्षा जमा:** विशेष परिस्थितियों में, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, ठेकेदारों द्वारा सुरक्षा राशि जमा करने की दरें निम्नानुसार होंगी:  
प्रत्येक कार्य के लिए सुरक्षा जमा राशि संविदा मूल्य की 5% होनी चाहिए। जब तक पूर्ण सुरक्षा जमा राशि की वसूली न हो जाए तब तक तक वसूली की दर बिल राशि की 10% होगी। ठेकेदार के संविदा के चालू बिल से सुरक्षा जमा राशि को वसूला जाएगा तथा सुरक्षा जमा प्राप्त करने के रूप में बैंक गारंटी, सावधि जमा जैसे किसी अन्य दस्तावेज, आदि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. **निष्पादन गारंटी (पी.जी.)** निष्पादन गारंटी प्राप्त करने की रूपरेखा निम्नानुसार होगी:-
- सफल बोलीदाताओं को निष्पादन गारंटी के बतौर संविदा मूल्य के 5% के बराबर अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी देनी चाहिए।
  - अनुबंध की अवधि के लिए निष्पादन गारंटी की स्वीकृति पत्र की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर दी जाएगी, लेकिन करार पर हस्ताक्षर करने से पहले निष्पादन गारंटी की वैधता अवधि अनुबंध की समाप्ति की तारीख से 3 महीने की होगी।
  - निष्पादन गारंटी को संतोषजनक कार्य पूरा करने तथा रखरखाव अवधि पूरी होने के बाद वापस किया जाएगा। सुरक्षा जमा को वापस करने का तरीका भी यही होगा।
  - जब भी संविदाओं को रद्द किया जाएगा, सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी तथा निष्पादन गारंटी को भुना लिया जाएगा तथा शेष कार्य को पृथक रूप से करवाया जाएगा। इस सुरक्षा जमा पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलेगा।
12. कार्य के लिए बोलीदाताओं के चयन का निर्णय करते समय, बोलीदाताओं द्वारा समय सीमा के भीतर किए गए अच्छे गुणवत्ता युक्त कार्य में इसी प्रकार का कामकाज, वित्तीय परिस्थिति, तकनीकी सक्षमता में उसकी क्षमता, प्रतिष्ठा, अनुभव पर जोर दिया जाएगा।
13. प्रत्येक श्रेणी की सूचना के लिए, फोटोग्राफ के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्नक के रूप में लगाएं।
14. जहां लागू हो वहां हस्ताक्षर कर्ता के नाम की पावर ऑफ अटार्नी की स्व साक्षांकित प्रति लगाएं।
15. दस्तावेज के सभी पन्नों पर मोहर लगी हो तथा बोलीदाता के आद्याक्षर हों। इस दस्तावेज में से कोई पन्ना हटाया/परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा पूरे सेट को समग्र प्रस्तुत करना होगा।
16. बोली में कोई परिवर्धन/परिवर्तन स्वीकृत नहीं होगा। सशर्त निविदा को अस्वीकृत किया जाएगा।
17. सभी प्रकार के संशोधन तथा लिखे पर बोलीदाता के आद्याक्षर होंगे तथा एक सी स्याही से भरे जाने चाहिए।
18. प्रोफार्मा में दी गई जानकारी को **गोपनीय** रखा जाएगा।
19. सभी प्रकार की प्रविष्टियां टंकित या स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए।

20. यदि उपलब्ध जगह कम पड़े तो ठेकेदार पृथक पन्ने जोड़ सकता है। किंतु मूल फार्मट का सख्ती से अनुपालन किया जाए और सभी संलग्न किए गए पन्ने ए-4 साइज के हों (210मिमीX297मिमी)। किसी अन्य आकार के संलग्नक की अनुमति नहीं है।
21. भाग क-1 के अंतर्गत वर्णित कार्यों का विवरण में वर्णित ब्यौरा अस्थाई है जिसमें कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है एवं इसे बोलीदाता की मदद के लिए अग्रिम सूचना ही माना जाए।
22. बोलीदाता को निविदा को खोलने के पश्चात प्रस्ताव की न्यूनतम अवधि 120 दिन तक मान्य रखनी होगी, इस अवधि के दौरान बोलीदार अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकता, इस अवधि को जरूरी होने पर समय-समय पर आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।
23. उपरोक्त शर्तों की किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर बोलीदाता की बयाना राशि जमा जब्त कर ली जाएगी।
24. आवेदन कर्ता द्वारा आवेदन फार्म में दिए ब्यौरों की पी.आर.एल. द्वारा जांच की जाएगी। पी.आर.एल. को अधिकार है कि वह आवश्यकतानुसार बोलीदाताओं की संख्या को सीमित कर दे।
25. पी.आर.एल. का बोलीदाताओं को सूचिबद्ध करने का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी को मान्य होगा।
26. ठेकेदार के द्वारा लगाए गए व्यक्ति:
- 18 वर्ष से अधिक आयु वाले होंगे।
  - शिष्ट, प्रशिक्षित और अनुभवी होंगे।
  - स्वच्छ, साफ, मेडिकली फिट तथा अच्छे वर्दी एवं पहचान पत्र धारक और आवश्यक सुरक्षा उपायों में सावधानी बरतें जहां आवश्यक हो वहां हेलमेट, सुरक्षा बेल्ट, गम बूट, दस्ताने पहनें।
  - सभी जोखिम भरे कार्य पर्यवेक्षक की देखरेख में करें। यानि, ऐसे कार्य एक व्यक्ति द्वारा एवं अकेले में न किये जाएं।

सफल बोलीदार को प्रयोगशाला के साथ एक करार करना होगा। सफल बोली में दर्शाई गई दरें एवं बोली की शर्तें, विवरण, तथा सफल बोलीदार का प्रस्ताव पत्र एवं बोलीदार का स्वीकृति पत्र हस्ताक्षरित करार के अंग होंगे। बोलीदार को करार के लिए निर्धारित कीमत का स्टैंप पेपर लाना होगा।

27. **संविदा की अवधि:** प्रारंभ में दो वर्ष के लिए एवं इसे आपसी समझौते से तथा कार्य को संतोषजनक पूरा करने पर दो साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

**28. संविदा निरस्त हो जाएगी यदि:**

- संविदा की अवधि के समाप्ति पर यदि आगे विस्तार न किया जाए।
- संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय ठेकेदार द्वारा दी गई सेवा संतोषजनक न होने पर या करार की किसी शर्त को न मानने पर ठेकेदार को दो महीने की लिखित अग्रिम सूचना देकर।
- यदि ठेकेदार सेवा समाप्त करना चाहता है, तो वह पी.आर.एल. (आइ.आर.ओ.) को कारण बताते हुए दो महीने की लिखित सूचना देगा। यदि सूचना छः महीने के भीतर दी गई हो तो पी.आर.एल. द्वारा ईएमडी/एसडी/पीबीजी को जब्त कर लिया जाएगा।
- अनुबंध के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय, निदेशक, पीआरएल के विवेकाधीन निर्णय पर

29. ठेकेदार संविदा को पूरा करने की बाध्यता के कारण कोई उप-संविदा नहीं देगा।

30. **समानांतर/एड-हॉक अनुबंध:** पीआरएल के पास समान या एक प्रकार की सेवा का लाभ लेने के लिए अनुबंध की मौजूदगी के दौरान एक या एक से अधिक ठेकेदार के साथ समानांतर/एड-हॉक अनुबंध करने का अधिकार सुरक्षित है।

ठेकेदार की पहचान करने के लिए, पीआरएल किसी भी अन्य ठेकेदार को अनुबंध देने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिसने निविदा के विषय में योग्यता प्राप्त की है और सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है।

31. **भुगतान की शर्तें:** सफलता पूर्वक एवं संतोषजनक सेवा देने पर बिल की दो प्रतियां प्राप्त होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा।

ठेकेदार के दैनिक निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु योग्य प्रणाली विकसित की जाएगी और ठेकेदार को इस प्रणाली का अनुपालन करना होगा। भारत सरकार के आदेशों के अनुसार इस संविदा की वैधता के दौरान वैधानिक लेवी/न्यूनतम वेतन के संशोधन के अलावा संविदा की अवधि के दौरान दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी।

पी.आर.एल. के द्वारा किसी प्रकार के भुगतान या जमा, जो पी.आर.एल. के पास है, पी.आर.एल. एवं ठेकेदार के बीच विवाद होने या पी.आर.एल. की ओर से मासिक भुगतान में हुई देरी या अन्य के मामले में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

ठेकेदार को किए गए कामकाज के विस्तृत ब्यौरे के साथ ठेकेदार के प्रतिनिधि एवं यु.एस.ओ., पी.आर.एल. के नामित अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणित कार्य डायरी रखनी होगी। मासिक बिल के साथ इस डायरी के सार को भी संलग्न करना होगा।

**दंड:** दिया गया कार्य पूरा एवं संतोषजनक रूप से न करने पर उसके अनुपात में बिल से राशि काटी जाएगी। इस बारे में

निदेशक, पी.आर.एल. द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा। इसके अतिरिक्त, ऐसी राशि पर 20% को मुआवजे के रूप में काटा जाएगा।

32. **मुआवजा:** ठेकेदार द्वारा सेवा प्रदान करने में अचानक विफल होने, लापरवाही, विस्थापन या रोक की स्थिति में, शेष कार्य के निष्पादन करने के हक पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ठेकेदार की लागत एवं खर्च से पी.आर.एल. विभागीय रूप से या किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा कार्य को पूरा करेगा।

ऐसे मामले में, ठेकेदार पी.आर.एल. या अन्य एजेन्सी द्वारा किए कार्य पर आई अतिरिक्त लागत को पी.आर.एल. को भुगतान करेगा। अन्य किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेशक, पी.आर.एल. इस करार की ओर से या कानून के अधीन, ठेकेदार को दो महीने की लिखित सूचना देकर करार को रद्द कर सकता है तथा ऐसे मामले में ठेकेदार पी.आर.एल. के विरुद्ध हानि या क्षति का दावा नहीं कर सकेगा।

33. **क्षतिपूर्ति:** बीमा, कामगार मुआवजा, श्रम कानून आदि जैसे समय-समय पर लागू विभिन्न अधिनियमों और कानून के अनुसार तैनाती की अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को दिए गए सभी आर्थिक या अन्य लाभों के लिए ठेकेदार पीआरएल को क्षतिपूर्ति करेगा।

**क्षतिपूर्ति बांड:** ठेकेदार कार्मिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, अनुबंध श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, ईपीएफ अधिनियम, ईएसआई अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम और अनुबंध की निरंतरता के दौरान श्रम या औद्योगिक श्रमिकों के लिए प्रासंगिक कोई अन्य अधिनियम जैसे किसी भी कार्यवाही, दावों या सभी मौजूदा कानूनों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी कार्य, दावों या कार्यवाही के खिलाफ 200/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर पीआरएल को क्षतिपूर्ति देगा।

34. **बहिष्कृत/ब्लैकलिस्ट:** ठेकेदार को किसी भी मौजूदा/पिछले ग्राहकों विशेषतः किसी भी सरकारी विभाग/संगठन द्वारा पिछले 5 वर्षों में उनके द्वारा प्रदान किए गए खानपान या आतिथ्य सेवाओं से संबंधित किसी भी कारण के लिए दोषपूर्ण/सेवा में कमी के लिए 'ब्लैकलिस्ट' नहीं होना चाहिए। ठेकेदार को तकनीकी बोली के साथ इस विषय पर एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

35. **ईएमडी एवं निविदा शुल्क छूट प्रमाणपत्र:** यदि, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) या सूक्ष्म, लघु उद्यम (एमएसई) आदि के साथ पंजीकृत होने के कारण ठेकेदार ईएमडी और निविदा शुल्क के भुगतान से छूट का दावा कर रहा है, तो उन्हें तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा।

36. ठेकेदार द्वारा **न्यूनतम मजदूरी** और अन्य श्रम संबंधित संवैधानिक प्रेषण और ठेकेदार द्वारा भुगतान और संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार सभी नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा। ठेकेदार की ओर से किसी प्रकार की चूक के लिए पीआरएल किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

37. **मध्यस्थता:** अनुबंध की व्याख्या और आवेदन से संबंधित किसी भी विवाद या अंतर की परिस्थिति में, इस तरह के विवाद या अंतर संबंधित पार्टियों के कार्यालयों के आपसी परामर्श से सौहार्दपूर्वक सुलझाए जाएंगे।

यदि ऐसा कोई समाधान संभव नहीं है, तो भारतीय माध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 या उसके किसी भी संशोधन के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार वैज्ञानिक सचिव, पीआरएल द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को अनसुलझे विवाद या अंतर भिजवाए जाएंगे।

मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। **मध्यस्थता** के लिए खर्च का भुगतान मध्यस्थ द्वारा निर्धारितानुसार किया जाएगा। मध्यस्थता अहमदाबाद में होगी।

**ठेकेदार साइट पर तैनात अपने कर्मचारियों के लिए निम्न हेतु जिम्मेदार होंगे:**

- **भर्ती और कर्मचारियों का प्रशिक्षण**
- **अपने कर्मचारियों को वर्दी प्रदान करने और उनका रखरखाव**
- **अपने कर्मचारियों की सुरक्षा**
- **स्टाफ की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखने**

- सभी आकस्मिकताओं के खिलाफ अपने कर्मचारियों की बीमा कवरेज
  - अपने कर्मचारियों की शिकायत
  - अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान और रिकॉर्ड रखना
  - उनके कर्मचारियों के वेतन का भुगतान और पीएफ/ईपीएफ/ईएसआई आदि पर अपने कर्मचारियों और परिवार के लिए वैधानिक भुगतान पर रिकॉर्ड बनाए रखना, और अन्य भुगतान
  - संघ एवं राज्य के सभी श्रम कानूनों का अनुपालन
  - उनको सुरक्षा उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा और चिकित्सा देखभाल सहित श्रम कल्याण
  - ठेकेदार परिसर में तैनात अपने कर्मियों के नाम, पता, तस्वीर के साथ व्यक्तिगत विवरण प्रदान करेगा तथा यु.एस.ओ., पी.आर.एल से उनके लिए बार कोडित पहचान पत्र प्राप्त करेगा और काम पर इसे लगाना आवश्यक होगा।
  - ठेकेदार या एजेंट, प्रतिनिधि या उसके कर्मचारियों को प्रचालन या संविदा के निष्पादन के दौरान कोई दुर्घटना या अन्य कारणों से हुई चोट के कारण हुई किसी मौत, नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार पी.आर.एल. नहीं होगा। ठेकेदार कोई व सभी दावों के खिलाफ जो भी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, आदि या किसी अन्य कानून या कानून की सेवाओं पर असर होने के अधीन उत्पन्न हो सकती है और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगाए कर्मकार से संविदा के निष्पादन के अधीन पी.आर.एल. को क्षतिपूर्ति करेगा।
38. **अप्रत्याशित घटना:** दोनों पार्टियों में से कोई भी संविदा के निष्पादन में किसी प्रकार की देरी या असफलता के तहत भुगतान के लिए संस्थापित नहीं होगी या नुकसान का दावा उस सीमा तक नहीं करेगी, जहां तक यह नुकसान दैवी प्रकोप या सार्वजनिक दुश्मन, सरकारी प्राधिकारी के द्वारा शोषण या ज़ब्ती, कार्रवाई या युद्ध, विद्रोह या विध्वंस या आगजनी, बाढ़, विस्फोट, दंगा या कानूनी/गैरकानूनी हड़ताल/तालाबंदी, प्राकृतिक आपदाएं आदि परिणाम से निष्पादन के विफल होने से हुआ हो।
39. संविदा के दौरान किसी भी स्तर पर ठेकेदार या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने न्यायालय में नैतिक चरित्रहीनता का मामला चलने पर पी.आर.एल. को विशेष रूप से यह विशिष्ट हक होगा कि वह ठेकेदार को बिना कोई नोटिस दिए संविदा को रद्द कर दे तथा ऐसे मामले में ठेकेदार पी.आर.एल. से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
40. **न्यायाधिकार:** किसी अन्य न्यायालय या न्यायालयों में संबंधित मामले के संदर्भ में विषय वस्तु के प्रश्न के निर्णय के न्यायाधिकार के होते हुए भी यदि वह विषय वस्तु याचना स्वरूप हो, इससे उत्पन्न कोई या सभी कार्रवाई तथा कार्यवाही या करार से संबंधित न्यायालय सक्षम सिविल न्यायाधिकार अहमदाबाद के ही अधीन होगा जहां पी.आर.एल. की ओर से इस करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा सभी अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करते हुए एवं ऐसी कार्यवाही (हियों) तथा/या कार्यवाही पर विचार करने के लिए अहमदाबाद स्थित न्यायालय को ही न्यायाधिकार होगा।
41. संविदा की शर्तों की व्याख्या के विवाद के मामले में, निदेशक, पी.आर.एल. का निर्णय अंतिम होगा एवं ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।
42. निदेशक, पी.आर.एल. के पास निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक स्वीकृत करने या कोई एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का हक सुरक्षित है।

### C. सूचना प्रदान करने के लिए बोलीदाताओं को अनुदेश

1. उनके द्वारा रखे गए विभिन्न प्रकार के उपकरण मशीनरी की संख्या का विवरण
2. बोलीदारों से निवेदन है कि वे निर्धारित प्रोफार्मा में उनके संस्थान, तकनीकी अनुभव, क्षमता तथा सक्षमता एवं वित्तीय परिस्थिति के बारे में उपयुक्त साक्ष्य के साथ ब्यौरा प्रस्तुत करें। प्रोफार्मा में गलत या अधूरी सूचना देने के कारण बोलीदार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
3. साफ-सफाई गतिविधि के व्ययसाय में प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ तकनीकी संबंध के विवरण।
4. आवेदक के पास कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में तकनीकी तथा प्रशासनिक/पर्यवेक्षण कर्मचारी होने चाहिए। आवेदक को संस्थागत चार्ट व पी.आर.एल. में कार्य करने के लिए लगाए जाने वाले कर्मचारियों का सी.वी. प्रस्तुत करना होगा जो संस्था में मुख्य पद पर कार्यरत होंगे।

### C. बोली दाता के लिए योग्यता मापदंड:

पूर्व अर्हता चरण निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए:

The following points shall be kept in view at prequalification stage:

1. ठेकेदार को सफाई, बागवानी और नाविक गतिविधि के लिए 3 वर्षों का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। (संबंधित श्रम प्राधिकारी द्वारा दिया पंजीकरण व लाइसेन्स एवं पीएफ/ईपीएफ/ईएसआई पंजीकरण के साथ कार्य आदेश संलग्न करें)
2. अनुसूचित बैंक द्वारा जारी 10.00 लाख रु. का नवीनतम शोधन प्रमाण पत्र
3. पिछले 7 (सात) वित्तीय वर्षों में से किसी में ठेकेदार के पास 20.00 लाख रुपये के मूल्य की हाउसकीपिंग, बागवानी और केवट सेवाओं के लिए कम से कम एक कार्य आदेश होना चाहिए। (या) पिछले 7 (सात) वित्तीय वर्षों में से किसी में 15.00 लाख रुपये के मूल्य की हाउसकीपिंग, बागवानी और केवट सेवाओं के लिए कम से कम दो एकल कार्य आदेश होना चाहिए। (या) पिछले 7 (सात) वित्तीय वर्षों में से किसी में 10.00 लाख रुपये के मूल्य की हाउसकीपिंग, बागवानी और केवट सेवाओं के लिए कम से कम तीन एकल कार्य आदेश होना चाहिए। (कार्य आदेश की प्रति संलग्न करें)
4. ठेकेदार का पिछले किसी 3 (तीन) वित्तीय वर्ष के दौरान **कम से कम 07.00 लाख रुपए** का कारोबार होना चाहिए। (लाभ-हानि खाते के साथ बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)
5. ठेकेदार के पास न्यूनतम 1 लाख रुपये की सफाई उपकरण होना चाहिए। (पर्याप्त प्रमाण की प्रति संलग्न होना चाहिए)
6. ठेकेदार के कम से कम **20 व्यक्ति** होने चाहिए। (संबंधित श्रम प्राधिकारी से प्राप्त वैध पंजीकरण एवं लाइसेन्स तथा वैध ईएसआई पीएफ का पंजीकरण लगाएं। ईएसआई और पीएफ प्राधिकारी को भेजी रकम की अद्यतन प्रति संलग्न करें)
7. **बोलीदाता को इस मूल्यांकन के लिए कार्य से संबंधित कोई जानकारी ठीक लगती है तो उसे प्रस्तुत करना चाहिए।**

**E. घोषणा:**

1. मैं/हम पी.आर.एल. में बोलीदार चयन के निर्णय से सहमत हूँ/हैं, कार्य अवस्था का निर्णय अंतिम है एवं मुझ पर/हम पर बाध्यकारी है।
2. यदि मेरे/हमारे कार्य की पूछताछ की जाती है, उससे संबंधित क्षेत्रों एवं सभी परियोजनाओं तथा कार्य के बारे में अन्य पूछताछ की जाती है जिसका जिक्र बोली में किया गया है तो मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं है।
3. मैं/हम यह उत्तदायित्व लेते हैं कि फर्म के संघटन में किसी प्रकार का फेरबदल होने पर सूचित करूंगा/करेंगे।
4. ऐसे परिवर्तन के उपलक्ष्य में संविदा को चालू रखना पूर्ण रूप से पी.आर.एल. की समझबूझ पर होगा।
5. उपरोक्त दी गई सभी जानकारी व डेटा मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य व सही हैं।

कंपनी की मोहर के साथ बोलीदाता के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

भाग I - कंपनी एजेंसी के बारे में बुनियादी जानकारी:

क) संस्था का नाम:

ख) संस्था का पता:

a) फोन नं.:

b) फैंक्स नं.:

c) ई-मेल:

d) यूआरएल वेबसाइट:

ग) 1.पंजीकरण सं. व सीएलए की तिथि:

छ) आय कर पैन

ज) माल और सेवा कर संख्या (जीएसटी)

e) पीएफ पंजीकरण संख्या

f) इएसआई पंजीकरण संख्या

[उपरोक्त सभी के लिए स्व साक्ष्यांकित प्रतिलिपियां संलग्न करें]

g) पूर्व अनुभव: (संलग्नक लगाएं)

h) अबसे ब्यौरा प्रस्तुत करने वाले प्रभारी व्यक्ति का नाम:

i) साझेदारों/निदेशकों के नाम, मूलभूत योग्यता व आयु को सम्मिलित करते हुए संस्था का प्रकार: (पूर्ण स्वामित्व, साझेदारी, प्राइवेट लिमिटेड, सहकारी संस्था आदि)

1)

2)

3)

4)

5)

(ii) क्या उपरोक्त में से किसी के संबंधी पी.आर.एल. में कार्यरत हैं? यदि हां, तो नाम व उनके संबंध का उल्लेख करें।

- j) संगठन के लिए आयकर क्लियरेंस सर्टिफिकेट:
- k) जीएसटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट
- l) कंपनी के वित्तीय संसाधन: (रुपये लाखों में)

शोधनक्षमता प्रमाणपत्र:

अन्य:

क्या विगत में पी.आर.एल. को ऐसी सेवाएं प्रदान की गई थी, यदि हां तो कब और कितने सालों तक ?

भाग II - बोलीदाता की परियोजना जानकारी:

(प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग अनुलग्नक संलग्न करें)

निम्नांकित निर्धारित प्रोफार्मा में गत सात वर्ष के दौरान अच्छी गुणवत्ता एवं कारीगरी के साथ किए गए 10.00 लाख व अधिक की की संविदा मूल्य (वार्षिक) के महत्वपूर्ण संस्थागत/परिसर कार्यों की सूची :

परियोजना: 1 (एक)

- 1) नाम व कार्य का वर्ष :  
आपके प्रभारी अधिकारी  
के नाम सहित:
- 2) ग्राहक का नाम :
- 3) यदि हो तो परामर्श दाता का नाम :
- 4) कार्य की कीमत व समयावधि :
- 5) कार्य का स्थान :
- 6) कार्य का प्रकार (हाउसिंग/  
संस्था आदि) दो पंक्तियों में ब्यौरा :
- 7) कार्य स्थल का क्षेत्र (यदि हो)

परियोजना: 2 (दो)

- 1) नाम व कार्य का वर्ष :  
आपके प्रभारी अधिकारी  
के नाम सहित:
- 2) ग्राहक का नाम :
- 3) यदि हो तो सलाहकार का नाम :
- 4) कार्य की कीमत व समयावधि :
- 5) कार्य का स्थान :
- 6) कार्य का प्रकार (हाउसिंग /  
संस्था आदि) दो पंक्तियों में ब्यौरा :
- 7) कार्य स्थल का क्षेत्र (यदि हो)

परियोजना: 3 (तीन)

- 1) नाम व कार्य का वर्ष :  
आपके प्रभारी अधिकारी  
के नाम सहित :
- 2) ग्राहक का नाम :
- 3) यदि हो तो परामर्श दाता का नाम :
- 4) कार्य की कीमत व समयावधि :
- 5) कार्य का स्थान :
- 6) कार्य का प्रकार (हाउसिंग /  
संस्था आदि) दो पंक्तियों में ब्यौरा :
- 7) कार्य स्थल का क्षेत्र (यदि हो)

प्रमुख सलाहकार/ग्राहक फर्म से उत्तम कारीगरी, अनावश्यक अतिरिक्त दावे की प्रवृत्ति तथा ठेकेदार के सामान्य व्यवहार, सलाहकार/ग्राहक के अधीन किए गए कार्य के विस्तृत ब्यौरों के संदर्भ पत्र (यदि हों)

### भाग-III कार्य ब्यौरा:

#### जन बल की आवश्यकता के आकलन के लिए प्रत्येक परिसर और भवन का मापन: (लगभग)

1. उदयपुर मुख्य परिसर (अनुमानित भवन क्षेत्र)  
कार्यालय भवन - 1000 sqm वर्गमीटर
2. कैंटीन भवन - 300 sqm वर्गमीटर
3. अन्य विविध इमारतें / प्रयोगशालाएं / जेनरेटर कक्ष आदि- 500 वर्गमीटर  
द्वीप - 1000 वर्गमीटर
- केवल सूचना के लिए उपर्युक्त मापन

#### A. हाउसकीपिंग कार्य:

1. निम्नांकित सुविधा/जगहों की साफ-सफाई करनी होगी
2. झाड़ू लगाकर/झाड़ना, फर्नीचर व उपकरणों की धूल-झाड़ना, जालों को निकालना
3. कार्यालय भवनों, प्रयोगशाला भवनों, गलियारों तथा अन्य सिविल संरचनाएं
4. प्रसाधन
5. सुविधाओं/उपकरणों के साथ के साथ का प्रांगण
6. इलेक्ट्रिशियन के पर्यवेक्षण के तहत विद्युत उपकरणों तथा/या रोशनी
7. विजुअल आइडेंटिटी साइनेज
8. विभिन्न भवनों के छज्जे, चबूतरे एवं छत आदि
9. प्रांगण व सेवा क्षेत्र
10. पार्किंग शेड व आसपास की जगह

यदि संविदा के दौरान पी.आर.एल. कार्य क्षेत्र में बदलाव करना चाहे तो ठेकेदार व पी.आर.एल. संविदा के कार्य क्षेत्र पर बातचीत कर सकते हैं।

#### कार्य क्षेत्र तथा प्रक्रिया:

हमारा व्यवसायिक हाउसकीपिंग एजेन्सियों की सेवा को भाड़े पर लेने का प्रस्ताव है। ठेकेदार को प्रत्येक स्थानों पर प्रशिक्षित कार्मिकों को उचित वर्दी के साथ निम्न कार्य के लिए रखना होगा। यह सुझाव है कि सफाई के क्षेत्र में न्यूनतम मानक बनाए रखने के लिए निम्न तरह से कार्य करने आवश्यक हैं:

(तय किए अनुसार रोजाना, दो बार, चार बार, आदि या आवश्यकतानुसार सभी क्रियाकलाप पूरे करने होंगे)

#### सामान्य क्षेत्र

11. फर्श ब्लॉकों/ मुख्य द्वार व चालनमार्ग/पार्किंग/ईंट के फर्श क्षेत्र
12. खुले मलबे एवं कूड़े को उठाना।
13. यांत्रिक झाड़ू लगाना (वाक बिहांड स्वीपर का प्रयोग करते हुए)।
14. A यांत्रिक स्क्रब सफाई (सिंगल डिस्क मशीन, उच्च कार्य क्षमता (डिग्रेसर) तथा वैक्यूमिंग) के लिए वेट व ड्राय वैक्यूम क्लीनर का उपयोग।
15. (सामान्य सफाई क्लीनर का उपयोग) या मैनुअल खिड़की सफाई किट का प्रयोग करते हुए सभी दागों का धूल झाड़ना - स्क्रब सफाई तथा गीले कपड़े से पोंछना।

16. छतरी (फेसिका, छज्जा, छत, कॉलम)

17. कॉबवेब व सी आकार के ब्रशों का उपयोग करते हुए नियमित सफाई व धूल झाड़ना  
18. (सामान्य सफाई क्लीनर का उपयोग) व वांछित ऊंचाई के टेलीस्कोपिक पोल व मैनुअल खिड़की सफाई किट का प्रयोग करते हुए गीला व सूखा पोंछन

19. कूड़ेदान की सफाई

- कूड़ेदान से कूड़ा निकालना व साफ करना और लाइनर को बदलना

नियमित अंतराल पर केंद्रीय स्थान पर कूड़ा-कचरे के निपटान के लिए ट्रॉली (ट्रेक्टर के साथ लगाने वाली) के द्वारा व्यवस्था करनी होगी। जब भी ट्राली भर जाती है ट्रेक्टर या उचित वाहन का उपयोग करते हुए उसे ले जाना होगा एवं नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर कूड़े-कचरे का निपटान करना होगा। ठेकेदार द्वारा नगरपालिका प्राधिकारी के साथ आवश्यक संपर्क व औपचारिकताएं पूरी करनी होगी।

20. अन्य क्षेत्र जैसे चारदीवारी, अन्य क्षेत्र/बाड़

कॉबवेब व सी आकार के ब्रशों का उपयोग करते हुए झाड़ना  
जब आवश्यक हो सामान्य प्रयोजन क्लीनर व मैनुअल सफाई किट का प्रयोग करते हुए गीला व सूखा पोंछन

21. कार्यालय/प्रयोगशाला क्षेत्र:

फर्श सफाई - कम से कम 2 बार

- खुले मलबे एवं कूड़े को उठाना
- झाड़ू का उपयोग करते हुए झाड़ू लगाना
- डबल बकेट व स्पीडी झाड़न यंत्र तथा सामान्य फर्श क्लीनर का उपयोग करते हुए झाड़न
- सूखे झाड़न का प्रयोग करते हुए सूखा झाड़न
- (सामान्य सफाई क्लीनर का उपयोग) व वांछित ऊंचाई के टेलीस्कोपिक पोल व मैनुअल खिड़की सफाई किट का प्रयोग करते हुए गीला व सूखा पोंछन
- ग्लेजिंग/शीशे/दरवाजे/खिड़कियां तथा झिलमिली - रोजाना  
कॉबवेब व सी आकार के ब्रशों का उपयोग करते हुए नियमित सफाई व धूल झाड़ना  
फर्नीचर व फिक्चरों की सफाई - रोजाना एक बार  
कॉबवेब व सी आकार के ब्रशों का उपयोग करते हुए नियमित सफाई व धूल झाड़ना
- जब आवश्यक हो सामान्य प्रयोजन क्लीनर व मैनुअल सफाई किट का प्रयोग करते हुए गीला व सूखा पोंछन
- स्विच बोर्ड, टेलीफोन उपकरणों, फोटो फ्रेमों आदि - रोजाना एक बार
- मकड़ जाल व सी आकार के ब्रशों का उपयोग करते हुए नियमित सफाई व धूल झाड़ना
- सफाई व स्वच्छ करने वाले रसायनों व साफ झाड़नों का प्रयोग करते हुए गीला पोंछन एवं स्वच्छता पदमार्ग/गलियारों/सीढ़ियों, सीढ़ियों के रेलिंग - दिन में दो बार
- खुले मलबे एवं कूड़े को उठाना
- यांत्रिक/मैनुअल झाड़ू लगाना (वाक बिहांड स्वीपर का प्रयोग करते हुए)

- यांत्रिक स्क्रब सफाई (सिंगल डिस्क मशीन एवं उच्च क्षमतायुक्त डिग्रेसर का उपयोग करते हुए) व वैक्यूमिंग

## 22. रोजाना दो बार

खुले मलबे एवं कूड़े को उठाना.

यांत्रिक/मैनुअल झाड़ू लगाना (वाक बिहांड स्वीपर का प्रयोग करते हुए)

- डबल बकेट मॉपिंग व स्पीडी मॉप प्रणाली एवं सामान्य फर्श क्लीनर का उपयोग करना

### कूड़ेदानों, रद्दी पेपर के बॉस्केटों की सफाई - जब भी आवश्यक हो दिन में कम से कम एक बार

- कूड़ेदान से कूड़ा निकालना व साफ करना और लाइनर को बदलना
- निर्धारित स्थान पर ही कूड़े-कचरे का निपटान

### दरवाजे के मैटों की सफाई - जब भी आवश्यक हो

धूल झाड़ना

धोना व

वैक्यूमिंग

### कार्पेट/विनिल फर्श - जब भी आवश्यक हो

- सफाई व स्वच्छ करने वाले रसायनों व साफ झाड़नों का प्रयोग करते हुए गीला पोंछन एवं सफाई

## 23. प्रसाधन

### फर्श/दीवारें - रोजाना चार बार

- कूड़ा व खुले कचरे को उठाना
- छोटे डबल बकेटों व पोंछन प्रणाली का उपयोग करते हुए पोंछन
- स्वच्छता व सफाई करने वाले रसायनों व कलर कोडेड मॉप व प्रसाधन साफ करने वाले उपकरणों का उपयोग करते हुए स्वच्छता

### सेनेटरी वेयर, नल - दिन में चार बार

- कॉबवेब जाल डस्टर व सी आकार के ब्रशों का उपयोग करते हुए झाड़ना
- स्वच्छता व सफाई करने वाले रसायनों का प्रयोग करते हुए गीला पोंछन एवं सफाई
- स्टेनलैस स्टील के टॉटियों की पॉलिशिंग व नियमित रखरखाव के लिए एसएस रखरखाव का प्रयोग

### प्रसाधन बॉउल, मूत्रालय, वॉश बेसिन - दिन में चार बार

- पानी का प्रयोग करते हुए प्रसाधन में फ्लश
- जब भी आवश्यक हो दाग हटाने के लिए प्रसाधन बॉउल क्लिनर व स्क्रब करना। इसे 10 मिनट के लिए रहने दें।

सजावट, विद्युत उपकरण, एक्जास्ट पंखें- रोजाना एक बार

- कॉबवेब डस्टर व सी आकार के ब्रशों का उपयोग करते हुए झाड़ना
- स्वच्छता व सफाई करने वाले रसायनों का प्रयोग करके गीला पोंछन एवं सफाई
- स्टेनलैस स्टील की टॉटियों के पॉलिशिंग व नियमित रखरखाव के लिए एसएस रखरखाव का प्रयोग

### शीशों व अन्य गिलास के सतह - रोजाना तीन बार

- कॉबवेब डस्टर व सी आकार के ब्रशों का उपयोग करते हुए झाड़न ग्लास क्लिन्नर घोल व मैनुअल खिड़की सफाई किट का प्रयोग करते हुए पूरी तरह से सफाई

### **क्रियान्वयन योजना**

सफल बोलीदार प्रत्येक स्थानों की सफाई व स्वास्थ्य प्रणाली का क्रियान्वयन करेगा तथा संबंधित क्षेत्र के विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार उसका प्रस्वावित समय होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि पी.आर.एल. के दैनिक क्रियाकलापों में इस कार्य से खलल न पड़े

### **24. सफाई समयसारणी**

रोज प्रातः 7:30 बजे से 9.30 बजे तक परिसर की आरंभिक सफाई करनी होगी। प्रवेश क्षेत्र की सफाई प्रातः 7.30 से पहले करनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि हाउसकीपिंग की शर्तों के अनुसार 9.30 बजे से पहले पूरे परिसर तैयार रहना चाहिए। तत्पश्चात योजना में निहित अनुसार आवृत्ति को बनाए रखना चाहिए। उपरोक्त में दर्शाए कार्य सम्मिलित होंगे।

**यह भी सुनिश्चित करें कि प्रसाधन(नों) की सफाई का रखरखाव कार्यालयीन समय में सही तरीके से हो रहा है एवं प्रति 2 घंटे की जांच के बारे में लॉग बुक/चार्ट का रखरखाव करना होगा।**

छुट्टियों के दिनों में पाक्षिक रूप से गहन सफाई सेवा योजना।

- कूड़ेदान के कचरे, धूल आदि को परिसर में निर्धारित स्थान या कूड़ा फेंकने के स्थल पर ले जाना
- ठेकेदार को रोजाना सफाई एवं निकास अनुरक्षण के लिए अपेक्षित निम्न उपभोज्यों की व्यवस्था करनी होगी।

- ✓ कड़े व नरम झाड़ू
- ✓ हस्त झाड़न, रबर स्क्वीज़
- ✓ डबल बकेट व स्पीडी मॉप मॉपिंग यंत्र
- ✓ कॉबवेब व सी आकार के ब्रश
- ✓ वांछित ऊंचाई के टेलीस्कोपिक पोल
- ✓ स्पंज डस्टर
- ✓ नाइलॉन हार्ड ब्रिस्टल हस्त झाड़न ब्रश
- ✓ प्रसाधन बॉउल क्लीनर
- ✓ पीतल/क्रोम पॉलिश
- ✓ ग्लास क्लीनर
- ✓ उत्तम गुणवत्ता के रोगनाशक
- ✓ डब्ल्यू सी ब्रश

- सभी रासायनिक/डिटरजेंट/रोगमुक्तक/गंधहर एवं अन्य ऐसे उपभोज्य आदि उच्चकोटी के मानक युक्त होने चाहिए और जल आधारित होने चाहिए एवं अज्वलनशील होने चाहिए। सभी जैव-अपकर्षक, पर्यावरण अनुकूल और निर्माता के अनुदेशों के अनुसार उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। पी.आर.एल. को द्रव साबुन व टॉयलेट पेपर के अलावा ऐसी सामग्री का संयुक्त रूप से निरीक्षण करने तथा जो भी सामग्री घटिया लगेगी उसे पूर्णतः निरस्त करने का अधिकार होगा।

### B: बागवानी का विकास

- a. ग्रीष्म ऋतु में रोजाना, शरद ऋतु में एक दिन छोड़कर, वर्षा ऋतु में भी जब भी आवश्यक हो बाग की सिंचाई करनी होगी, तथा/या जैसी भी परिस्थिति हो, ताकि पौधे निरोग रहें।
- b. खेती प्रयुक्त खाद का उपयोग (एफवायएम) - प्रत्येक 3 महीने के अंतराल - पावडर बनाकर, साफ करके पी.आर.एल. (यूएसओ) के प्राधिकृत अधिकारी के अनुदेशों के अनुसार पौधों को योग्य मात्रा में इसका उपयोग किया जाना चाहिए।
- c. लॉन की कटाई - सप्ताह में एक बार एवं तराशना, निराई आदि नियमित रूप से दैनंदिन आधार पर।
- d. विद्युत लॉन कटाई यंत्र के लिए अपेक्षित विद्युत एवं पानी पी.आर.एल. (यूएसओ.) द्वारा मुफ्त में दिया जाएगा
- e. बीज रोपण, पौध प्रतिरोपण द्वारा ग्रीष्म, वर्षा एवं शरद ऋतु के मौसमी फूलों को उगाना तथा कट फ्लावरर्स व फ्लावर शो प्रतियोगिता के लिए रखरखाव करना होगा।
- f. सीमा पर लगे पौधों का उचित निरीक्षण व जब भी आवश्यक हो अवांछित शाखाओं का कतरन एवं जहां लगे वहां पौधों को सहारा देना होगा।
- g. पी.आर.एल. के प्राधिकृत अधिकारी के अनुदेशों के अनुसार एवं जब आवश्यक हो पौधों की सुरक्षा के लिए योग्य कीटनाशकों व रोगनाशकों का उपयोग करना होगा।  
ठेकेदार, सभी आवश्यक कृषि कीटनाशकों और रोगनाशकों और दीमक उपचार रसायनों एक आवश्यक मात्रा में जैसे रसायनों को अपेक्षित मात्रा में पूर्ति करेगा और पी.आर.एल. (यूएसओ) प्राधिकृत अधिकारियों के अनुदेशों के अनुसार जब भी आवश्यकता होगी पौधों पर छिड़काव करेगा।
- h. बगीचे की सफाई करना- पी.आर.एल. (यूएसओ) में प्रतिदिन लॉन में झाड़ू लगाना, कूड़े का चयन करके कचरा उठाना और निराई करना, पत्ते उठाना और कटे हुए घास को पीआरएल द्वारा नियत क्षेत्रों में फेंकना
- i. बागवानी सेवा का रखरखाव
- j. पी.आर.एल. (यूएसओ) द्वारा निर्धारण के अनुसार बाग क्षेत्र की सफाई - लॉन को रोजाना बुहारना, कूड़े को निकालना एवं अपतृण व गिरे पत्तों को ले जाना व घास काटना होगा।
- k. पी.आर.एल. (यूएसओ) के परिसर (रॉ) के बाहर ठेकेदार कटे घास/पौधों/टहनियों/कंदो/घनकंदों आदि या बागवानी सामग्री को नहीं ले जाएगा। ऐसे सूचिबद्ध वस्तुओं के निपटान के लिए उचित अनुमोदन लेना होगा।

(नोट: प्राधिकारी के संतोषजनक होने तक साइट की सफाई करनी होगी)

### **क्रियान्वयन योजना**

सफल बोलीदार प्रत्येक स्थानों की सभी बागवानी सेवा का क्रियान्वयन करेगा तथा संबंधित क्षेत्र के विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार प्रस्वावित समय होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि पी.आर.एल. (यूएसओ) के नित्य क्रियाकलापों में इस कार्य से खलल न पड़े।

**नाविक सेवाएं /श्रम सेवाएं**

फतेहसागर के किनारे से यू.एस.ओ. द्वीप वेधशाला तक आने व जाने के लिए दैनिक आधार पर और प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार आवश्यकता पड़ने पर नौकायन के लिए नाविक सेवाएं प्रदान करना।

यूएसओ/पीआरएल अधिकारियों द्वारा निर्देशित सामान्य कामकाज करना।

**इलेक्ट्रीशियन सेवाएं**

अधिकारियों द्वारा वांछित बिजली के रखरखाव और नया काम। बिजली के उपकरणों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत आदि।

बिजली के उपकरणों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत आदि रोजाना रखरखाव।

**सभी सेवाओं के लिए जन बल की आवश्यकता:**

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत कार्य का विवरण	USO के विभिन्न परिसरों में तैनाती के लिए सेवा इकाइयां (संख्या में)
<b>भाग I -</b> हाउस कीपिंग , बागवानी और नौका सेवाओं के लिए पर्यवेक्षक	1
<b>भाग II -</b> हाउस कीपिंग सेवाएं	
हाउस कीपिंग (यू.एस.ओ. मुख्य परिसर, छात्रावास / ट्रांजिट)	5
हाउस, और द्वीप	
<b>भाग -IV बागवानी</b> श्रम	
	6
<b>भाग - VI - नौका सेवाएं</b>	
केवट (श्रम)	2
सामान्य कार्य के लिए श्रम (द्वीप)	1
<b>भाग - VII - इलेक्ट्रीशियन</b>	1
<b>कुल</b>	<b>16</b>

**नोट: 1.** आवश्यकता के अनुसार यूनिटों की संख्या भिन्न हो सकती है।

<b>जांच सूची</b>	
<b>कृपया जांच करें कि क्या बोली के लिए संबंधित कवरों में निम्न सामग्री को संलग्न किया है अर्थात्, पूर्व-योग्यता बोली का पत्र :</b>	
1. 120 दिन के लिए बोली की वैधता	हां/नहीं
2. विभागीय हाउस कीपिंग , बागवानी सेवाओं में सहायता प्रदान करने में कम से कम तीन वर्षों के अनुभव के प्रमाण	हां/नहीं
3. 40% से कम के कारोबार का प्रमाण	हां/नहीं
4. अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित तीसरी पार्टी रेटिंग एजेंसी के द्वारा कोई प्रत्यायन/श्रेणीनिर्धारण मूलभूत सूचना (विक्रेता)	हां/नहीं
5. मूलभूत सूचना (विक्रेता)	हां/नहीं
6. क्या ईएमडी / छूट प्रमाणपत्र संलग्न है	हां/नहीं
7. क्या पंजीकरण प्रमाण पत्र, श्रम लाइसेंस, जीएसटी पंजीकरण और रिटर्न, कार्य अनुभव आदि जैसे सभी अनिवार्य दस्तावेजों को संलग्न किया गया है।	हां/नहीं



भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला नवरंगपुरा, अहमदाबाद  
Physical Research Laboratory, Ahmedabad - 380009

कार्य का नाम: उदयपुर सौर वेधशाखा (यू.एस.ओ., पीआरएल, उदयपुर, राजस्थान के विभिन्न परिसरों में 1) खानपान और अतिथिगृह पर्यवेक्षण 2) हाउस कीपिंग, बागवानी सेवा प्रदान करने के लिए के लिए वार्षिक दर अनुबंध

**भाग-ख**

***मूल्य बोली***

"उदयपुर सौर वेधशाखा (यूएसओ), उदयपुर, राजस्थान के विभिन्न परिसरों में हाउस कीपिंग सेवाओं, बागवानी, केवट/श्रम सेवाओं, पर्यवेक्षक और इलेक्ट्रीशियन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक दर अनुबंध (दो बोली प्रणाली)।

एनआईटीसं.- PRL/ADM-GN/USO/2018-2019/01

दिनांक 09.04.2018

प्राप्त कर्ता \_\_\_\_\_

रसीद संख्या: \_\_\_\_\_ दिनांक: \_\_\_\_\_

जारीकर्ता:

ध्यान दें: ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित मूल्य बोली के सभी पृष्ठों पर मुहर लगाना अनिवार्य है।

अनुसूचि - A

अनुसूचि का सार			
मद सं.	भाग	विवरण	राशि रु. में
1	भाग I	पर्यवेक्षण सेवाएं	
		भाग - I पर GST @18 %	
2	भाग II	हाउसकीपिंग सेवाएं - A जनबल सेवाएं	
		भाग II पर GST @18 % जनबल सेवाएं	
3	भाग III	हाउसकीपिंग सेवाएं - B (माल की आपूर्ति)	
4	भाग IV	बागवानी सेवाएं - A - जनबल सेवाएं	
		भाग IV पर GST @18 % जनबल सेवाएं	
5	भाग V	बागवानी सेवाएं - B (माल की आपूर्ति)	
6	भाग VI	केवट और सामान्य सेवा	
		भाग VI पर GST @18 %	
7	भाग VII	इलेक्ट्रीशियन	
		भाग VII पर GST @18 % जनबल सेवाएं	
		प्रति वर्ष लागत अनुमान	
		दो वर्षों के लिए लागत अनुमान	

एजेंसी प्रत्येक यूनिट के लिए श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी देगा

अनुबंध की इस अवधि के दौरान वैधानिक निकाय / सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में कोई भी वृद्धि / कमी, दस्तावेजी प्रमाण / सबूत के प्रस्तुति पर प्रतिपूर्ति / कटौती की जाएगी।

एजेंसी विविध प्रावधान अधिनियम के तहत ईपीएफ और पीएफ कोड प्राप्त करेगा।

पीएफ के लिए नियोक्ताओं पर लागू कारक विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, और विफल होने पर विभाग आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मात्रा केवल संकेतक हैं वास्तविक पर भुगतान

एजेंसी को निरंतर मात्रा के साथ मासिक बिल जमा करना पड़ता है।

घोषणा: मैं / हम निविदा के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं।

अनुसूची - B

भाग I - पर्यवेक्षण सेवाएं						
मद सं.	मात्रा	यूनिट	मद का विवरण	दर	यूनिट	राशि
1	310.00	यूनिट	विभागीय अधिकारी द्वारा निर्देशित बागवानी कार्यों, हाउसकीपिंग और नाविक सेवाओं के लिए पर्यवेक्षण की सेवाएं प्रदान करना।		प्रत्येक	
			नोट:--			
			(a) पर्यवेक्षक को उच्च माध्यमिक (12th उत्तीर्ण) और कैटरिंग और प्रबंधन से संबंधित कार्यों की प्रकृति में 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए			
			(b) एक यूनिट का अर्थ है आधे घंटे के दोपहर के लंच ब्रेक को छोड़कर पर्यवेक्षक द्वारा प्रति दिन 8 घंटे के लिए प्रदान की जाने वाली सेवा			
						कुल

अनुसूची - C

भाग - II हाउस कीपिंग सेवा				
मद	मद का विवरण	यूनिट	दर	राशि
	यूएसओ मुख्य कैंपस, हॉस्टल और द्वीप पर			
	सफाई कार्य			
	यूएसओ द्वीप वेधशाला: परिसर और कार्मिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे कार्यालय भवन परिसर, और आसपास के मॉपिंग सहित जैसे प्रवेश द्वार, प्रयोगशालाओं, प्रशासनिक भवन, कैंटीन, भंडार, सभी कार्यालय कक्ष, प्रयोगशालाएं, गलियारों, सब-स्टेशन क्षेत्र, शौचालय (दिन में दो बार), इमारतों के आसपास के क्षेत्र, सड़कें (काले ऊपरी सतह, लाल मिट्टी और कच्चे सड़क) ईट की बनावट, पत्तियां, अपशिष्ट पेपर आइटम, जानवरों का कचरा इत्यादि को हटाकर बिल्डिंग के आसपास, ईट की फर्श, साइड बीम, प्लिंथ सुरक्षा और हर इमारत के आसपास झाड़ू और सफाई में फर्नीचर और फिक्स्चर, कार्यालय उपकरण, रिकॉर्ड, किताबें, फर्श मॉपिंग, ब्लीचिंग पाउडर से पानी के टैंक की सफाई, कांच की खिड़की, समय-समय पर छत की सफाई करना, मकड़ी के जाले निकालना। कार्य के ब्यौरे में निर्धारित			

	जगह पर दैनिक कूड़े एकत्र, ले जाना और या नियत स्थान पर निपटाना शामिल है। छत और पानी के टैंक को छोड़कर सभी क्षेत्रों को दैनिक साफ किया जाना है। यूएसओ पीआरएल के निर्देशों के अनुसार छत और पानी की टंकी समय-समय पर साफ करनी होगी।			
	यूएसओ हॉस्टल / ट्रांजिट हाउस, और स्टाफ क्वार्टर कैम्पस: ट्रांजिट हाउस / हॉस्टल सुरक्षा कक्ष, पेंटी / रसोई क्षेत्र गलियारों, सब-स्टेशन क्षेत्र, शौचालय (दिन में दो बार), इमारतों के आसपास के क्षेत्र, सड़कें (काले ऊपरी सतह, लाल मिट्टी और कच्चे सड़क) ईट की बनावट, पतियां, अपशिष्ट पेपर आइटम, जानवरों का कचरा इत्यादि को हटाकर बिल्डिंग के आसपास, ईट की फर्श, साइड बीम, प्लिंथ सुरक्षा और हर इमारत के आसपास झाड़ू और सफाई में फर्नीचर और फिक्स्चर, कार्यालय उपकरण, रिकॉर्ड, किताबें, फर्श मॉपिंग, ब्लीचिंग पाउडर से पानी के टैंक की सफाई, कांच की खिड़की, समय-समय पर छत की सफाई करना, मकड़ी के जाले निकालना।कार्य के ब्यौरे में निर्धारित जगह पर दैनिक कूड़े एकत्र, ले जाना और या नियत स्थान पर निपटाना शामिल है। छत और पानी के टैंक को छोड़कर सभी क्षेत्रों को दैनिक साफ किया जाना है। यूएसओ पीआरएल के निर्देशों के अनुसार छत और पानी की टंकी समय-समय पर साफ करनी होगी।			
(I)	हाउसकीपिंग के लिए श्रम प्रभार	1550		
				कुल

**अनुसूचि - D**

<b>भाग - III</b>				
निविदा में एक वर्ष के लिए शामिल करने के लिए हाउसकीपिंग आइटमों की आवश्यकता				
क्र.	मद	दर	यूनिट	राशि
1	लाइजोल 500 मिलीलीटर बोतल		80	
2	हार्पिक 500 मिलीलीटर बोतल		100	
3	कोलिन 500 मिलीलीटर बोतल		60	
4	क्लीनिंग क्लॉथ (मीटर)		60	
5	टेबल डस्टर (कंप्यूटर के लिए नैपकिन)		75	
6	ओडोनील (75 ग्राम) बाथरूम फ्रेशनर		100	
7	फिनाइल (5 litre can)		15	
8	डिस्पेंसर के साथ लिक्विड सोप (लाइफबॉय)		20	
9	लिक्विड सोप (5 litre can)		10	
10	टॉयलेट टिश्यू पेपर रोल		150	
11	रंगीन नेफ्था बॉल्स पैकेट- सुगंधित और सामान्य (डॉक्टर ब्रांड)		100	
12	छड़ी के साथ रोड ब्रूम		20	
13	नरम झाड़ू		100	
14	मच्छरों / मक्खी / कीट रीपेलेन्ट स्प्रे (700 ग्राम)		15	
15	ग्लास / टेबल डस्टर्स		100	
16	छड़ी के साथ सूखी और गीली पोछे		20	
17	मोप्स फ्रिल ड्राई और गीले बिना छड़ी के		20	
18	स्क्रबर		100	
19	डब्ल्यू सी ब्रश		10	
20	डस्ट बिन (धातु / पीवीसी - खुली प्रकार / ढक्कन के साथ)		20	
21	रूम फ्रेशनर (स्प्रे)		20	
22	कॉब वेब और सी आकार ब्रश		10	
23	वाइपर		10	
24	बाल्टी (क्षमता - 20 लिटर)		10	
25	प्लास्टिक मग		10	
26	लिक्विड डिश वाष (विम) 500 मिलीलीटर बोतल		30	
27	वाशिंग पाउडर ( 1 kg)		10	
28	पाइन सीस्ट्रन ब्लॉक		25	
	कुल रुपये			

**अनुसूचि - E**

<b>भाग-IV बागवानी सेवा</b>					
मद सं.	मात्रा	मद का विवरण	दर	यूनिट	राशि
1		लॉन का रखरखाव:			
		a) बगीचे की सफाई करना- प्रतिदिन बगीचे में झाड़ू लगाना, कचरा उठाना और निराई करना, पत्ते उठाना और कटे हुए घास को पीआरएल द्वारा नियत क्षेत्रों में या इंजीनियर या प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार फेंकना			
		b) परिसर को हरा और साफ रखने के लिए आवश्यकतानुसार उद्यान क्षेत्र, पौधों और लॉन में रोजाना पानी देना			
		c) फार्म यार्ड खाद (एफवायएम) का उपयोग - 3 महीने के अंतराल पर इसका उपयोग - इसे पीआरएल के अधिकृत अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार पीस कर, साफ और पौधों को उचित मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए।			
		d) हर हफ्ते में लॉन की कटाई और प्रतिदिन के आधार पर नियमित किनारा तैयार करना, निराई करना			
		e) पंक्तियों में दूब घास रोप कर पैच वर्क बनाना			
		f) मौसमी फूल लगाना -, गर्मियों, बरसात और सर्दी के मौसम में, पौधों के रोपाई के लिए और कटे हुए फूलों के लिए और पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिता के लिए बीज बोना।			
		g) किनारों के पौधों की उचित कटाई और पौधों को समर्थन देते हुए अवांछित शाखाओं को काटना			
		h) जब आवश्यक हो तो पीआरएल के प्राधिकृत अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कीटनाशकों के उपयोग द्वारा पेड़ संरक्षण उपाय			

		विभिन्न पेड़ों, झाड़ियों, किनारे के पौधे, लताएं, बोगनविला आदि का रोपण और रखरखाव			
		b) पौधों को स्वस्थ रखने के लिए दैनिक या फिर मौसमी परिवर्तनों के अनुसार पानी देना			
		c) फार्म यार्ड खाद (एफवायएम) का उपयोग - 3 महीने के अंतराल पर इसका उपयोग - इसे पीआरएल के अधिकृत अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार पीस कर, साफ और पौधों को उचित मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए।			
		d) जब आवश्यक हो तो पीआरएल के प्राधिकृत अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कीटनाशकों के उपयोग द्वारा पेड़ संरक्षण उपाय			
		e) हफ्ते में एक बार या आवश्यकतानुसार निराई, सफाई और पौधे के चारों ओर गड्ढा (गोलाकार) बनाना			
		f) पौधों की छंटाई/ पी.आर.एल. के विभिन्न भवनों के पास, सड़कों के चारों ओर और संबद्ध परिसरों के पेड़ की शाखाओं को काटना, सूखे पेड़ों, पत्तों/टहनियां को काटकर निर्धारित क्षेत्र में निपटान			
		b) पौधों को स्वस्थ रखने के लिए दैनिक या फिर मौसमी परिवर्तनों के अनुसार पानी देना			
		g) सूखे पौधों के स्थान पर नए पौधे लगाना, वृक्ष के तने के आसपास हवा और पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्यारियां बनाना			
		पी.आर.एल. के विभिन्न परिसरों में विभिन्न स्थानों पर गमले के पौधों का रखरखाव:			
		a) पौधों को स्वस्थ रखने के लिए दैनिक या फिर मौसमी परिवर्तनों के अनुसार पानी देना			

		b) फार्म यार्ड खाद (एफवायएम) का उपयोग - 3 महीने के अंतराल पर इसका उपयोग - इसे पीआरएल के अधिकृत अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार पीस कर, साफ और पौधों को उचित मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए।			
		c) गमले में पुनःरोपण करना और सभी मौसमों में आवश्यक होने पर उनके लिए मिश्रण बनाना			
		d) जब आवश्यक हो तो पीआरएल के प्राधिकृत अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कीटनाशकों के उपयोग द्वारा पेड़ संरक्षण उपाय			
		नोट: एक यूनिट का अर्थ है आधे घंटे के दोपहर के लंच ब्रेक को छोड़कर ठेकेदार द्वारा प्रति दिन 8 घंटे के लिए प्रदान की जाने वाली सेवा			
	1860.00	बागवानी श्रम शुल्क प्रदान करना		सं.	
				कुल	

**अनुसूचि - F**

भाग - V					
बागवानी सेवाएं					
भाग - V सामग्री की आपूर्ति					
मद सं.	मात्रा	मद का विवरण	दर	यूनिट	राशि
1	10.00	अभियंता प्रभारी द्वारा निर्देशित फैलाव, लोडिंग, मैकेनिकल परिवहन, साइट पर उतारने सहित लॉन और बगीचे के लिए स्वीकृत गुणवत्ता उद्यान मिट्टी और की आपूर्ति		Cum	
2	25.00	निर्देशित फैलाव, लोडिंग, मैकेनिकल परिवहन, साइट पर उतारने सहित लॉन और प्लांटेशन काम के लिए स्वीकृत गुणवत्ता वाले गोबर खाद (एफवायएम) की आपूर्ति		Cum	
3	30.00	वर्मीकंपोस्ट (40 किलोग्राम प्रति बैग)		Bags	
4		रोपण सामग्री			
		मौसमी फूल लगाना -, गर्मियों, बरसात और सर्दी के मौसम में, पौधों के रोपाई के लिए और कटे हुए फूलों के लिए और पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिता के लिए बीज बोना।			

		अच्छी गुणवत्ता संकर बीज (वार्षिक)			
(a)	5.00	सर्दियों के मौसम में (कम से कम 10-15 विभिन्न किस्म) (लगभग 10gms प्रत्येक)		Pkts	
(b)	5.00			Pkts	
(c)	5.00	गर्मियों के मौसम में (कम से कम 10-15 विभिन्न किस्म) (लगभग 10gms प्रत्येक)		Pkts	
5		सामग्री			
(a)	2.00	कीटनाशक (क्लोरोपीरीफोस, मोनोक्रोटोफोस, रॉजर, एंडोसल्फोन, लिंडेन, एट्रिडिन आदि)		Lit	
(b)	2.00	कीटनाशक (साइपरमेथ्रिन, सल्डरिन आदि)		Lit	
(c)	2.00	फफूंदनाशी (बाविस्टिन, कॉपर सल्फेट, बोर्डो मिश्रण, थिरम, विटैवैक्स, कार्बेन्डाजिम, चौबतीया पेंट आदि)		Lit	
(d)	2.00	घासफूसनाशी (2, 4-डी, राउंडअप, आदि)		Lit	
(e)	2.00	फोरेट		Kg	
(f)	200.00	यूरिया		Kg	
6		नीचे दी गई सूची के अनुसार विभिन्न बागवानी पौधों की आपूर्ति सभी पौधे स्वस्थ रहनी चाहिए और प्रत्येक सभी पौधे का एक नमूना प्रभारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए			
(a)	9.00	Tecoma Gaudichudi		Nos	
(b)	7.00	Hamelia Patans		Nos	
(c)	7.00	Nerium Karan Pink		Nos	
(d)	7.00	Hibiscus Hawaii White		Nos	
(e)	7.00	Ixora pink		Nos	
(f)	6.00	Casurina Equisetifolia		Nos	
(g)	6.00	Fish tail palm		Nos	
(h)	50.00	Seasonal Flower (summer)		Nos	
(i)	200.00	Seasonal Flower (winter)		Nos	
(j)	6.00	Asopalav (Pendula)		Nos	
(k)	6.00	Ixora Red		Nos	
(l)	6.00	Cordia Sebetena		Nos	
(m)	6.00	Chandni (TMC)		Nos	
(n)	6.00	Gulmohar		Nos	
(o)	6.00	Amaltas		Nos	
(p)	6.00	Neem		Nos	
(q)	6.00	Kadam ( 5 feet high)		Nos	
(r)	6.00	Arica Palm ( 5 feet high)		Nos	
(s)	6.00	Kasid ( 5 feet high)		Nos	
(t)	6.00	Tabubiya Rosia ( 5 feet high)		Nos	
(u)	6.00	Piltofarm ( 5 feet high)		Nos	
(v)	6.00	Badam ( 5 feet high)		Nos	
(w)	6.00	Royal Palm ( 4 feet high)		Nos	
(x)	20.00	Croton		Nos	

(y)	50.00	Pitonia		Nos	
				<b>Total</b>	

**अनुसूचि - G**

भाग - VI नाविक/श्रम सेवाएं					
मद सं.	मात्रा	मद का विवरण	दर	यूनिट	राशि
1	730	फतेहसागर के किनारे से यू.एस.ओ. द्वीप वेधशाला तक आने व जाने के लिए दैनिक आधार पर और प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार आवश्यकता पड़ने पर नौकायन के लिए नाविक सेवाएं प्रदान करना।		प्रत्येक	
2	310	यूएसओ/पीआरएल अधिकारियों द्वारा निर्देशित सामान्य कामकाज करना।		प्रत्येक	
	नोट:	नाविक को नौकाओं और तैराकी के काम का अनुभव होना चाहिए। नाविक और श्रम दोनों अर्द्ध कुशल श्रेणी हैं।			
					<b>कुल</b>

**अनुसूचि - H**

भाग-VII - इलेक्ट्रीशियन - ITI					
मद	मात्रा	मद का विवरण	दर	इकाई	राशि
1	310	अधिकारियों द्वारा वांछित बिजली के रखरखाव और नया काम। बिजली के उपकरणों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट की मरम्मत आदि। इलेक्ट्रीशियन किसी भी आपातकालीन सेवाओं के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध होने चाहिए।		प्रत्येक	
	नोट:	इलेक्ट्रीशियन के पास आईटीआई होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिकल और संबंधित काम करने का अनुभव है। इलेक्ट्रीशियन श्रम अति कुशल श्रेणी है।			
					<b>कुल</b>

**अनुसूचि - I**

दैनिक मजदूरी के लिए दर विश्लेषण		प्रति सेवा यूनिट प्रति दिन रुपये में
I	<b>हाउस कीपिंग श्रमिक (अकुशल) -न्यूनतम मजदूरी</b>	
	जोड़े: ईपीएफ EPF @	
	जोड़े: ईएसआई ESI @	
	वर्दी प्रभार (प्रति दिन)	
	बोनस @ 8.33%	
	कुल	
	जोड़े सीपी एवं ओएच रुपये में	
	कुल	
	राउंडेड ऑफ	
II	<b>बागवानी मजदूर (अकुशल) - न्यूनतम मजदूरी</b>	
	जोड़े: ईपीएफ EPF @	
	जोड़े: ईएसआई ESI @	
	वर्दी प्रभार (प्रति दिन)	
	बोनस @ 8.33%	
	कुल	
	जोड़े सीपी एवं ओएच रुपये में	
	कुल	
	राउंडेड ऑफ	
III	<b>नाविक और श्रम (अर्ध कुशल) -न्यूनतम मजदूरी</b>	
	जोड़े: ईपीएफ EPF @	
	जोड़े: ईएसआई ESI @	
	वर्दी प्रभार (प्रति दिन)	
	बोनस @ 8.33%	
	कुल	
	जोड़े सीपी एवं ओएच रुपये में	
	कुल	
	राउंडेड ऑफ	

IV	पर्यवेक्षक (कुशल) न्यूनतम मजदूरी	
	जोड़े: ईपीएफ EPF @	
	जोड़े: ईएसआई ESI @	
	वर्दी प्रभार (प्रति दिन)	
	बोनस @ 8.33%	
	कुल	
	जोड़ें सीपी एवं ओएच रुपये में	
	कुल	
	राउंडेड ऑफ	
V	विद्युत कर्मचारी (अत्यधिक कुशल, आईटीआई) न्यूनतम मजदूरी	
	जोड़े: ईपीएफ EPF @	
	जोड़े: ईएसआई ESI @	
	वर्दी प्रभार (प्रति दिन)	
	बोनस @ 8.33%	
	कुल	
	जोड़े सीपी एवं ओएच रुपये में	
	कुल	
	राउंडेड ऑफ	

\_\_\_\_\_ वर्ग के शहर के मुख्य श्रम आयुक्त के दिनांक \_\_\_\_\_ के परिपत्र संख्या \_\_\_\_\_ के अनुसार मान्य दर।  
नोट: एक यूनिट का मतलब है कि ठेकेदार द्वारा लगाए गए कर्मचारी द्वारा आधे घंटे के दोपहर के भोजन के ब्रेक को छोड़कर 8 घंटे तक सेवाएं प्रदान करना।

सील के साथ बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

**बोली समाप्त**